

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-13/2025

पटना, दिनांक-

सुश्री शोभना, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गया अंचल-1, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-18.02.2025 से 07.03.2025 तक कुल 18 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री शोभना के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (155-18=137) (एक सौ सैंतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

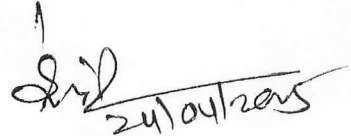
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-13/2025 17/2/25

पटना, दिनांक- 25/04/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), गया अंचल-1, गया /राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री शोभना, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गया अंचल-1, गया को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।